SHRI RANDHIR SINGH : I love you.

SHRI M. L. SONDHI : Let there be a little seriousness. It is this sort of quality which brings about indiscipline in this House: it is this light-heartedness. He is a fine fellow to meet in the playground; but not here where he brings down the temper of this House. Let him tell the Minister to be forth right.

SHRI RANDHIR SINGH : I am so sorry.

MR. SPEAKER : Do not take the privilege of interrupting every Member when he is speaking. Please do not do that.

12.49 hrs.

COMMITTEE OF PRIVILEGES

Ninth Report

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : Sir I beg to move :

> "That this House do agree with the Ninth Report of the Committee of Privileges laid on the Table of the House on the 19th November, 1969."

I do not think it needs any explanation; the report has been circulated.

MR. SPEAKER : Yes. The question is :

> "That this House do agree with the Ninth Report of the Committee of Privileges laid on the Table of the House on the 19th November, 1969."

The motion was adopted.

---

12 50 hrs.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL—(*Contd.*)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि मोटर व्हीकल्ज एक्ट में सबसे बड़ी विशेष धारा परमिट के बारे में है और परमिट देने के सम्बन्ध में जितनी धांधली चल रही है, जितना भ्रष्टाचार चल रहा है और उसके कारण जनता को जितना कष्ट पहुंच रहा है, उतना सरकार की किसी अन्य व्यवस्था से नहीं। जैसा कि मैंने कल कहा था, बाजार में एक एक लाख रुपये का परमिट बिक रहा है। इसके मानी यह है कि परमिट लेने वाले ज्यादा हैं और गाड़ियां कम हैं। इस स्थिति में यह समझ में नहीं आता है कि सरकार परमिट देने में हिचकिचाती क्यों है ? इसका एक ही कारण मालूम होता है कि सरकार के कर्मचारी भ्रष्टाचार चाहते हैं। उनके पाकेट गर्म होती रहें, इसी कारण से उन्होंने इस प्रणाली को दूषित बना रखा है।

मैं चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाये और जनता को राहत मिले। इसके लिए मेरा सुझाव है कि सरकार के पास परमिट के लिए जितने भी प्रार्थना पत्र आयें और सरकार जितने प्रार्थना पत्रों को प्रमाणित कर दे, उन सभी को परमिट मिल जाना चाहिए, ताकि वे किसी भी रूट पर बस चला सकें। 1920 तक यही व्यवस्था थी, लेकिन बीच में षड्यन्त्र चला और जान बूझ कर भ्रष्टाचार उत्पन्न करने के लिए उसमें परिवर्तन कर दिया गया।

यह दलील दी जा सकती है कि अगर एक ही रूट पर ज्यादा बसें हो जायेंगी, तो लाभ नहीं होगा, मैं कहना चाहता हूं कि लाभ और हानि के बारे में निर्णय करना परमिट लेने वालों का काम है। जहां लाभ नहीं होगा वहां कोई व्यक्ति परमिट नहीं लेगा। परमिट लेने वाले सोच लेंगे कि अमुक रूट पर लाभ होगा या नहीं। अगर किसी रूट पर बसों आदि की संख्या बढ़ जायेगी, तो यात्रियों को लाभ होगा, उन्हें किराया भी कम देना पड़ेगा और वे आराम से यात्रा करेंगे ओवरलोडिंग समाप्त हो जायेगा। इस तरह ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है।